

श्री 200

उपरोक्त आधिकारिक (मौलवाला)

2. प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रार किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी करके प्रतिवादी को जयिये सम्मन/नोटिस मामले में बजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया प्रतिवादी स्थित होने के बावजूद भी दिनांक 14-01-2021 को उपरोक्त नही होने व विहित समयबाधणी में जवाबदावा प्रस्तुतीकरण में असमर्थ में रहने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किया गये जाकर पत्रावली को एक तरफा सहायवादी खरण हेतु नियत किया गया। वादी

उल्लेखी मंड पर लगभग 06 बिस्वा भूमि आराजी नम्बर 938/2 प्रतिवादी ने मिला रखी है। 938/1 किता 02 रकबा 4-18 बीघा की पथरगाही की गई जिसमें आराजी नम्बर 938 की आर्डेरलअगार से रिपोर्ट प्राप्त दिनांक 21-06-2016 में दर्शाया गया की आराजी नम्बर 937 व फरमाया गया जिसकी पालना में दिनांक 21-04-2005 को पथरगाही की गई व दिनांक 60/2004 कायम ही दिनांक 18/10/2004 को निर्णय कर आदेश कर आदेश पथरगाही करने हेतु न्यायालय श्रीमान में आवदन प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या जबरन कब्जा कर लिया है जिस हेतु वादीगण ने वादपत्र में वर्णित आराजियत की किया कि आराजी संख्या 938/1 की उल्लेखी मंड पर 06 बिस्वा पर धीरे-धीरे खिसकते हुए दी जिस बाबत यह वाद वादीगण का अधिकार होने से यह वाद वादीगण की ओर से प्रेश वारिसाना द्वारा रजिस्टर्ड रिलिज डीट दिनांक 07/01/2009 को वादीगण के पक्ष में कर थी किन्तु राजस्थान जी बन्दवा की मृत्यु हो जाने से उनके वादीगण के अलावा अन्य विधिक लक्ष्मीनारायण पिता रामजीपाल काबरा निवासी महेश कोलानी, मौलवाला को विक्रय कर दी बन्दवा में दिनांक 22/08/2006 को बजसिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से गोशराम, श्री रामपाल बन्दवा के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी जिसमें से वादी गण के पिता स्व0 श्री रामपाल 01 बिस्वा एवं आराजी संख्या 938/1 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा वादी गण के पिता स्व0 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा में से आराजी संख्या 937 रकबा 02 बीघा संख्या 937 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा एवं आराजी संख्या 938/1 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा एवं आराजी बन्दवा के नाम आराजी बरण तहसील बनेला जिला मौलवाला की में वादी के रामपाल बन्दवा के नाम आराजी प्रतिवादी संख्या-1 के इस आषय का प्रस्तुत किया कि बाके ग्राम रायसिंहपुरा पटवार क्षेत्र प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने दिनांक 12.06.2012 को एक वाद विरुद्ध

दिनांक 21.01.2021

---: निर्णय ---

उपस्थित ---: श्री अमित कोठारी अधिवक्ता वादी

वादपत्र अन्तर्गत 183, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. श्री गोपाल पुत्र श्री रामपाल बन्दवा नि0 भदादा बाग के सामने, मौलवाला, अनवान
 2. श्री राधेश्याम पुत्र श्री रामपाल बन्दवा नि0 भदादा बाग के सामने, मौलवाला, अनवान
 1. श्री गोपाल पुत्र श्री रामपाल बन्दवा नि0 भदादा बाग के सामने, मौलवाला, अनवान
- मौलवाला राज0
मौलवाला राज0
मौलवाला राज0
- प्रतिवादी



332004
19/01/21
937
937
937
937
937